



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062024-254669
CG-DL-E-12062024-254669

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2149]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2024/ज्येष्ठ 22, 1946

No. 2149]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2024/JYAISHTHA 22, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2024

का.आ. 2251(अ).—केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और समान गैसों) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योगों की ऐसी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के पहली अनुसूची के मद 29 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए ;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4879(अ), तारीख 9 नवंबर, 2023 द्वारा, तारीख 9 नवंबर, 2023 से छह मास तक की अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को लोकहित उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार करना लोक हित में अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, जो इस प्रकार है:-

आदेश

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लोक उपयोगिता सेवाएं (छठा आदेश) 2024 है।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. केंद्रीय सरकार, ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और समान गैसों) के प्रसंस्करण या उत्पादन या वितरण में लगे हुए उद्योगों में लगी हुई सेवाओं को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/08/2024-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2024

S.O. 2251(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services of the industry engaged in the processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like), which is covered under item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 9th November, 2023 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 4879(E), dated the 9th November, 2023;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby issues the following order as follows: -

ORDER

- 1. Short title and Commencement.**- (1) This order may be called the Public Utility Services (Sixth Order) 2024
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. The Central Government hereby declares the services engaged in the processing or production or distribution of fuel gases (coal gas, natural gas and the like) to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. S-11017/08/2024 -IR (PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.